दिनांकः 30 जून, 2026

राजभाषा समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक

संस्थान के निदेशक डॉ. जे. पी. मिश्र एवं डॉ. पी. पी. रोहिल्ला, प्रधान वैज्ञानिक (पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन) एवं राजभाषा समिति के अध्यक्ष की निगरानी में 1 अप्रैल से 30 जून, 2026 तक की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 30 जून, 2026 को शाम 4.00 बजे कार्यालय के सभागार में किया गया। इस बैठक में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं परियोजना सहायकों की उपस्थिति रही। बैठक की शुरूआत में डॉ. पी. पी. रोहिल्ला, प्रधान वैज्ञानिक (पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन) ने निदेशक, राजभाषा अध्यक्ष एवं सभी सहभागियों का स्वागत किया एवं त्रैमासिक अवधि में हुई प्रगति तथा भविष्य की कार्य योजना के बारे में भी अवगत करवाया। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष से संबोधन का अनुरोध किया।

संस्थान के निदेशक, डॉ. जे. पी. मिश्र द्वारा संस्थान में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित सुझाव दियेः

1. संस्थान राजभाषा नियमों के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित है, अतः कार्यालय के समस्त कार्य यथासंभव एवं नियमानुसार हिन्दी में किए जाएँ। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करें।
2. संस्थान में आयोजित सभी बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं अन्य आयोजनों की कार्यवाही (Proceedings), प्रतिवेदन तथा आवश्यक अभिलेख हिन्दी में ही तैयार किए जाएँ।
3. प्रशासनिक एवं वित्त अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की गई कि अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणियाँ, प्रारूप (Drafts), कार्यालय आदेश, पत्राचार एवं अन्य अभिलेख यथासंभव हिन्दी या द्विभाषी ही तैयार किए जाएँ।
4. संस्थान के विभिन्न परियोजना सहयोगियों एवं वैज्ञानिकों को अपने–अपने परियोजना क्षेत्रों से संबंधित लेख, तकनीकी आलेख, सफलता की कहानियाँ एवं अन्य सामग्री हिन्दी में तैयार कर हिन्दी पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु भेजने का प्रयास करें।
5. संस्थान की अधिसूचना (Notification) के संशोधित प्रस्ताव को आवश्यक संशोधनों सहित पुनः हिन्दी अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुमोदन एवं पुनर्विचार हेतु प्रेषित किया जाए।
6. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों, पत्राचार, ई–मेल, टिप्पणियों एवं संवाद में अधिकाधिक राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें तथा संस्थान में हिन्दी के प्रयोग को यथासंभव 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास करें।
7. प्रत्येक अनुभाग यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा नियम 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाएँ।

अंत में निदेशक महोदय ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के संवर्धन एवं प्रोत्साहन में सभी अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएँ तथा संस्थान को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक आदर्श संस्थान बनाने हेतु सामूहिक प्रयास करें।

श्री राजेन्द्र बैन्दा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, राजभाषा समिति के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।